

फर्द अहकाम


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

दिनांक 21/01/21 विपक्षी 22/01/21

मुकदमा

व्य

पत्रावली संख्या 220/12 सन

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>25/1/21 वक्तव्य दादी / प्रतिवादी उप, 4-12 512, के लिये नौका कहते हैं। अतः 19/01/21 भ्रमण दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/1/21 को पेश हो। SDO मावली</p> <p>22/4/21 पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृत के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 17/6/21 को पेश हो।</p> <p>17/6/21 पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 30/9/21 को पेश हो।</p> <p>30/9/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपरिथत/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 2/12/21 को पेश हो।</p> <p>02/11/21 पत्रावली तलब की गई। 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021' आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प-... दिनांक 03/11/21... को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	<p>7</p> 

3/12/21
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 17/2/22 को पेश हो।

17/2/22
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 12/5/22 को पेश हो।

12/5/22
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 1/9/22 को पेश हो।

01/9/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय
वादी को आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित हैं।
अतः अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद
अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार दोऊ
नम्बर से कम है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) ग्वालियर